संख्या:-5/2015/463/11-5-2015-218(1)/2014 टी0सी0

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 27 मार्च, 2015

विषयः स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग में जीप वाहन के प्रतिस्थापना स्वरूप 01 महिन्द्रा बोलेरो के क्रय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-758/नौ-104/2014 दिनांक 04-02-2014 एवं पत्र संख्या-453 दिनांक 25-02-2015 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश 790-11-5-2014-218(17)/2013 दिनांक 11-04-2014 के द्वारा आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष लेखानुदान के अन्तर्गत मद संख्या-14 'मोटर गाडियों का क्रय' के मद में रू. 600 हजार की धनराशि आपके निवर्तन पर पूर्व में रखी गई है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में जीप वाहन संख्या-यू0पी0 70 ए0जी0 0679 के प्रतिस्थापना स्वरुप एक महिन्द्रा बोलेरो (बी0ओ0ए0 एस0एल0ई 2 डब्ल्यू0डी0 7 एस0टी0आर0 बी0एस0-4 ए0सी0) डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर क्रय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल रुपये 637166/- (रु0 छः लाख सैंतीस हजार एक सौ छाछठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(3) स्वीक़त नये वाहन का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत डी0जी0एस0 एण्ड0 डी0 दर पर किया जायेगा तथा क्रय किये जाने वाले वाहन की गुणवत्ता व दर की वैधता की अवधि सुनिश्चित कर ली जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित उक्त वाहन के स्थान पर पूर्व में नया वाहन न क्रय किया गया हो।

(4) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय'व्ययक अनुदान संख्या-91 के राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण-आयोजनेत्तर-03-पंजीकरण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्यालय-मद-14-मोटर गाडियों का क्रय के नामें डाला जायेगा।

(5) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई0-9-125/दस-2015 दिनांक 25-03-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 5/2015/463(1)/11-5-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।

4- असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, खण्ड-12 इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासकीय प्रयोजन हेतु उपर्युक्त महिन्द्रा बोलेरो क्रय करने के लिए फार्म-39 तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।